अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 9/2021-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक 9801 के सामने विनिर्दिष्ट उप-मद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), संख्या 42/96-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन.294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 42 और उसके सामने विनिर्दिष्ट परियोजना के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और परियोजना अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:--

"43 उच्चगति रेल परियोजना।"

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 को भारत के राजपत्र, द्वारा सं. सा.का.िन. 294(अ), तारीख तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 संख्या द्वारा संशोधित तथा सा.का.िन. 215(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 9/2021-Customs

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) specified against heading 9801 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 42/96 – Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996, namely.-

In the said notification, after serial number 42 and the project specified against it, the following serial number and the project shall be inserted, namely,-

"43. High Speed Rail Projects.".

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 42/96– Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended *vide* notification No. 21/2016–Customs, dated the 1st March, 2016, published *vide* number G.S.R. 215(E), dated

1st March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 10/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 68(अ).—केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परियोजना आयात विनियमन, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:--